Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 29 /2024

Noor Mohammad & Ors. .....Appellant

Versus

Md. Hasib & Anr. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–12/2022–23 मे दिनांक–01.06.23 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घटारो, थाना नं0–08, खाता–272, खेसरा–445, रकवा–9 डी0, खेसरा–422, रकवा–5 डी0, खाता–273, खेसरा–423, रकवा–10 डी0 भूमि का आर0एस0 खतियान याकूब इस्लामुद्दीन एवं मोहर बक्स के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता द्वारा न तो कभी अपने छोटे भाई याकूब को जमीन प्रदान किया गया और न ही कभी उनका भाई उक्त जमीन पर दखलकार हुए। याकूब के मृत्यु के बाद उनके वंशज (उत्तरवादी) भी प्रश्नगत भूमि पर दखलकार नहीं हुए। संबंधित भूमि पर अपीलार्थी के पिता 1960 से ही मौखिक बंटवारे के बाद मकान बनाकर दखलकार ह। साथ ही जमाबंदी कायम कर सरकार को लगान रसीद अदा कर रहे हैं। खतियानी रैयत की मृत्यु के उपरांत उत्तरवादी ने दावा किया है कि प्रश्नगत जमीन का मालिकाना हक उसके पास है तथा केवाला के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा कर निम्न न्यायालय से अपीलार्थी अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिये। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून एवं तथ्य के आधार पर अवैध है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा इनके द्वारा समर्पित कागजात को नजरअंदाज किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर इनका पूर्ण अधिकार है तथा इसपर इनका दखल प्राप्त है। उक्त वर्णित स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद विधि एवं तथ्य के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि मौजा–घटारो, थाना नं0–85, खाता–272, खेसरा–445, रकवा–9 डी0, खेसरा–422, रकवा–5 डी0, खाता–273, खेसरा–423, रकवा–10, कुल रकवा–24 डी0 है, जिसका आर0एस0 खतियान याकूब, मो0 इस्माईल और मोहर बक्स के नाम से दर्ज है। खतियान में दर्ज रैयत संयुक्त रूप से क्रमशः	

Web copy, Not official.

	<u>लगातार</u> 20.12.2024	प्रश्नगत भूमि पर मौखिक बंटवारा कर अपने हिस्से पर काबिज हुए। खतियानी रैयत इस्लामुद्दीन और मोहर बक्स अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहते हुए मौजा–घटारो, खाता–272 एवं 273 की अपनी–अपनी 8 डी0 भूमि कब्जे में रखते हुए कुल 16 डी0 अपना हिस्सा 16 डी0 जमीन का केवाला दिनांक–03.09.1992 को याकूब के नाम कर दखल सौंप दिये। उसके उपरांत याकूब उक्त जमीन पर मकान बनाये और बिहार सरकार से जमाबंदी अपन नाम कराकर सरकार को लगान अदा कर रह है। वर्ष 1994 को याकूब की मृत्यु के उपरांत उसका कुल भूमि 24 डी0 उत्तरवादी को हस्तांतरित हुआ और उत्तरवादी अपने परिवार के साथ उक्त मकान में अपीलार्थी सहित सभी के जानकारी में रह रहे थे। इसी बीच दिनांक–10.04.2022 का अपीलार्थी हथियारों से लैस होकर इनके मकान को तोड़ना शुरू कर दिय, जिसका विरोध करने पर इनके उपर क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया। इसके बाद इन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में वाद दायर किया, जिसके बाद माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी के द्वारा इनके पक्ष में विधिसम्मत आदेश पारित करते हुए इनको दखल कब्जा दिलाने का आदेश दिया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदश क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है तथा नियमानुकूल है। अपीलार्थी द्वारा गलत आरोप लगाया गया है कि उनके पिता ने कभी अपने हिस्से की जमीन याकूब के पक्ष में केवाला नहीं किया है। इस संबंध में मो0 इस्माईल इस्लामुद्दीन और मोहर बक्स द्वारा याकूब को बिक्री संलेख संख्या–87120 दिनांक–03.09.1992 द्वारा केवाला किया है जो कानूनी रूप से बैध एवं सही है। केवाला लगभग 30 वर्ष पुराना है। इसलिए जबतक उक्त केवाला को सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तबतक अपीलार्थी उक्त भूमि पर उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में उत्तरवादी ने प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न सभी सुसंगत कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पश्ट होता है कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये केवाला संख्या–87120, दिनांक–03.09.1992 को संयुक्त अवर निबंधक, पूर्णिया से जाँच करायी गई, जिसमें संयुक्त अवर निबंधक, पूर्णिया ने अपने पत्रांक–1526, दिनांक–24.08.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि संबंधित केवाला सही नहीं है। इस प्रकार उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत केवाला सही नहीं पाये जाने के कारण प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दावा सही प्रतीत होता है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश को नियमानुकूल नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपील वाद स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" । की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.